उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 2042/सेक–2–पांच–18–6(128)/2018
लखनऊ दिनांक : 3 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 पुष्पलता शमी (वरि0क0–7751), तत्कालीन जिला महिला चिकित्सालय, बिजनौर सम्प्रति जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–30589 (एस0बी0)/2017 डा0 पुष्पलता शमी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि उसे 11, 17 और 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त देय विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जाय।

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में दिनांक 04.01.2018 को सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :–

Heard Sri Alok Mishra, learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel.

This petition has been filed for quashing the impugned order dated 02.12.2016, by means of which, the name of the petitioner has been excluded for grant of the benefit of special A.C.P. after completion of 11, 17 and 24 years of continuous satisfactory service.

Submission of learned counsel for the petitioner is that though the name of the petitioner appeared in the Government Order dated 17.12.2013, but on account of some typographical error, the service benefits could not be extended in favour of the petitioner. The petitioner thereafter approached to the State Government by way of representation and the error against the name of the petitioner has been rectified by means of order dated 24.10.2017. He further submits that once the error was rectified in the order dated 17.12.2013, the petitioner is entitled for the consequential benefits for grant of the benefit of special A.C.P., which has become due to her on completion of 11, 17 and 24 years of service and the petitioner has also moved a representation in this regard to the State Government on 02.12.2017. The said representation is pending before the State Government and no decision has been taken on the said representation up till now.

Considering the entire facts and circumstances of the case and without entering into the merits of the matter, the State Government is directed to dispose of the representation moved by the petitioner within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order before the competent authority.

With the aforesaid observations, the writ petition is disposed of.

3– मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु याची डा0 पुष्पलता शमी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2018 प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2018 एवं रिट याचिका के साथ संलग्न 12.12.2017 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनसे कनिष्ठ चिकित्साधिकारियों को उनकी प्रथम/तदर्थ नियुक्ति की तिथि से 11, 17 और 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त देय विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया है। अतः उन्हें भी प्रथम/तदर्थ नियुक्ति की तिथि 28.08.1990 से 11, 17 और 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त देय विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जाय।

4– याची द्वारा मांगे गये अनुतोष के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा0 पुष्पलता शमी, तत्कालीन एस0एम0ओ0 स्टोर, जिला महिला चिकित्सालय बरेली द्वारा वर्ष

2003–04 में रू0 10,24,981.00 वर्ष 2004–05 में रूपये 4,10,615.00 एवं वर्ष 2005–06 में रूपये 1,53,999.00 की बिना दर अनुबन्ध के औषधियों के क्रय में बरती गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितता किये जाने के आरोप में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–82/पांच–11–2010–म(17)/2009, दिनांक 08.01.2010 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मण्डल, बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–86(13)/5–11–2010–म(17)/2009, दिनांक 05.03.2010 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया है। प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही अभी लम्बित है। विभागीय कार्यवाही संस्थित/लम्बित होने के कारण याची डा0 शमी को 11, 17 और 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर देय विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय के पत्र दिनांक 06.07.2016 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विशिष्ट ए0सी0पी0 की देयता स्थगित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

डा0 शमी के विरूद्व प्रचलित जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जांच अधिकारी को शासन के पत्र दिनांक 29.06.2018 द्वारा दिये गये हैं। विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त तदनुसार याची डा0 शमी को विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

5– अतएव वर्णित स्थिति एवं मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 के अनुपालन में याची डा0 पुष्पलता शमी (वरि0क0–7751), जिला महिला चिकित्सालय, बिजनौर सम्प्रति जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा के प्रत्यावेदन दिनांक 02.12.2017 (सही तिथि 12.12.2017) एवं 12.01.2018 को एतदद्वारा उपर्युक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

श्रीराज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

संख्या– 2042 (1)/सेक–2–पांच–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बिजनौर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा)।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।